

## मांग संख्या 64

### मुख्यशीर्ष 2204

#### मद क्रमांक 1

छत्तीसगढ़िया ओलम्पिक के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरण किये जाने हेतु ₹ 262.80 लाख आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि से लिए गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 2,62,80,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता होगी ।

### मुख्य शीर्ष 2210

#### मद क्रमांक 2 से 3

केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) हेतु ₹ 6,300.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 63,00,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

### मुख्य शीर्ष 2216

#### मद क्रमांक 4

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत राज्यांश हेतु ₹ 3602.94 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 36,02,94,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मुख्यशीर्ष 2217

#### मद क्रमांक 5

स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत निजी/सामुदायिक/सार्वजनिक/एस्प्रीरेशनल शौचालय घटक हेतु केन्द्रांश राशि के रूप में आकस्मिकता निधि से राशि ₹100 प्रतीक अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹100 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 6

स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत यूज्ड वॉटर मैनेजमेंट घटक हेतु केन्द्रांश राशि के रूप में आकस्मिकता निधि से राशि ₹100 प्रतीक अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹100 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 7

स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट घटक हेतु केन्द्रांश राशि के रूप में आकस्मिकता निधि से राशि ₹100 प्रतीक अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹100 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 8

स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत आई.ई.सी. एवं बिहेवियर चेंज घटक हेतु केन्द्रांश राशि के रूप में आकस्मिकता निधि से राशि ₹100 प्रतीक अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹100 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 9

स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत कैपिसिटी बिल्डिंग, स्किल डेव्हल्पमेंट एवं नॉलेज मैनेजमेंट घटक हेतु केन्द्रांश राशि के रूप में आकस्मिकता निधि से राशि ₹100 प्रतीक अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹100 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 10

स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत निजी/सामुदायिक/सार्वजनिक/एस्प्रीरेशनल शौचालय घटक हेतु राज्यांश राशि के रूप में आकस्मिकता निधि से राशि ₹100 प्रतीक अग्रिम स्वीकृत किया गया है।





अतः आकस्मिकता निधि अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹100 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 29**

स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत कैपिसिटी बिल्डिंग, स्किल डेव्हलपमेंट एवं नॉलेज मैनेजमेंट घटक हेतु केन्द्रांश राशि के रूप में आकस्मिकता निधि से राशि ₹100 प्रतीक अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹100 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 30**

स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत निजी/सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय/एस्पिरेशनल घटक हेतु राज्यांश राशि के रूप में आकस्मिकता निधि से राशि ₹100 प्रतीक अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹100 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 31**

स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत यूज्ड वॉटर मैनेजमेंट घटक हेतु राज्यांश राशि के रूप में आकस्मिकता निधि से राशि ₹100 प्रतीक अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹100 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 32**

स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट घटक हेतु राज्यांश राशि के रूप में आकस्मिकता निधि से राशि ₹100 प्रतीक अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹100 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 33**

स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत आई.ई.सी. एवं बिहेवियर चेंज घटक हेतु राज्यांश राशि के रूप में आकस्मिकता निधि से राशि ₹100 प्रतीक अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹100 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 34**

स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत कैपिसिटी बिल्डिंग, स्किल डेव्हलपमेंट एवं नॉलेज मैनेजमेंट घटक हेतु राज्यांश राशि के रूप में आकस्मिकता निधि से राशि ₹100 प्रतीक अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹100 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 2408**

**मद क्रमांक 35**

राज्य सहकारी विपणन संघ को खाद्यान्न उपार्जन में हुए व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु ₹8400.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹84,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 2501**

**मद क्रमांक 36**

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत केन्द्रांश मद में ₹ 1996.05 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु कुल राशि ₹ 19,96,05,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 37**

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत राज्यांश मद में ₹ 1,330.70 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 13,30,70,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

#### मुख्य शीर्ष 2505

##### मद क्रमांक 38

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत ₹ 100 का प्रतीक प्रावधान आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया गया है ।

अतः आकस्मिकता निधि से प्राप्त अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 100 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

#### मुख्य शीर्ष 2801

##### मद क्रमांक 39

पांच एच.पी. के कृषि पम्पों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु अनुदान योजनांतर्गत ₹ 4097.40 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 40,97,40,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

##### मद क्रमांक 40

उपभोक्ताओं को विद्युत शुल्क में राहत हेतु सब्सिडी के लिए ₹ 18.84 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 18,84,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

##### मद क्रमांक 41

घरेलू उपभोक्ताओं को विद्युत देयकों में राहत योजना हेतु ₹ 229.68 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 2,29,68,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मुख्य शीर्ष 2851

##### मद क्रमांक 42

औद्योगिक इकाईयों को ब्याज भुगतान के लिए अनुदान दिये जाने बाबत ₹100.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹1,00,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मुख्य शीर्ष 2852

##### मद क्रमांक 43

औद्योगिक इकाईयों को उद्योग स्थापना हेतु लागत स्थायी पूंजी निवेश पर अनुदान दिये जाने बाबत ₹200.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹2,00,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मुख्य शीर्ष 4202

##### मद क्रमांक 44

जिला राजनांदगांव में 100 सीटर पोस्ट मेट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास भवन निर्माण हेतु ₹ 288.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

##### मद क्रमांक 45

टाटा टेक्नोलॉजीस, पुणे के सहयोग से 06 शासकीय आई.टी.आई. संस्थाओं (पण्डरिया, जॉजगीर, डोंगरगांव, लोरमी, हसौद एवं अकलतरा) को टेक्नोलॉजी हब के रूप में विकसित करने एवं उनके उन्नयन हेतु ₹ 1128.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 11,28,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

#### मुख्यशीर्ष 4215

##### मद क्रमांक 46

जल जीवन मिशन योजना हेतु ₹14559.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹1,45,59,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मुख्यशीर्ष 4217

### मद क्रमांक 47

अमृत मिशन अंतर्गत पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु केन्द्रांश राशि के रूप में ₹100 प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है। आवश्यक व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹100 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 48

अमृत मिशन अंतर्गत पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु राज्यांश राशि के रूप में ₹100 प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है। आवश्यक व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹100 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मुख्य शीर्ष 4225

### मद क्रमांक 49

जिला बेमेतरा में जोड़ा जैतखाम निर्माण हेतु ₹ 25.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मुख्य शीर्ष 5054

### मद क्रमांक 50

1. जिला जांजगीर-चांपा के बाराद्वार जैजेपुर हसौद मार्ग(मुख्य जिला मार्ग-72) लं.36.80 किमी अनुमानित लागत ₹1400.00 लाख तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 में आवश्यक व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।
2. जिला जांजगीर-चांपा के धुरकोट पेण्डरवा चन्द्रपुर मार्ग (मुख्य जिला मार्ग-363) लं.23.80 किमी अनुमानित लागत ₹928.03 लाख तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 में आवश्यक व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।
3. जिला जांजगीर-चांपा के दर्राभांठा भोथिया सलनी मुरलीडीह कचंदा मार्ग (मुख्य जिला मार्ग-368) लं. 17.00 किमी अनुमानित लागत ₹580.00 लाख तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 में आवश्यक व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।
4. जिला मुंगेली लोरमी मार्ग एम.डी.आर.-37 लं.26.20 किमी. अनुमानित लागत ₹1220.00 लाख तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 में आवश्यक व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।  
उपरोक्त कार्य हेतु आकस्मिकता निधि से राशि ₹400 प्रतीक अग्रिम स्वीकृत किया गया है।  
अतः आकस्मिकता निधि अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹400 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 51

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत सड़क तथा पुल निर्माण हेतु केन्द्रांश राशि ₹ 2643.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 26,43,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

### मद क्रमांक 52

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत सड़क तथा पुल निर्माण हेतु राज्यांश राशि ₹ 1212.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 12,12,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

## मुख्य शीर्ष 5275

### मद क्रमांक 53

संचार क्रांति योजना हेतु ₹ 114.72 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,14,72,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।